

## ६ विद्यालयः समाज का लघु रूप (School as a miniature society)

### **5.3 विद्यालय का विकास:- (Development of the school)**

---

विद्यालय के विषय में दो धारणाएं हैं - एक प्राचीन तथा दूसरी नवीन। प्राचीन धारण के अनुसार परम्परागत विद्यालयों का जन्म हुआ था। तथा नवीन धारणा के अनुसार प्रगतिशील विद्यालयों को स्थापित किया जाता है। निम्नलिखित पंक्तियों में हम इन दोनों प्रकार के विद्यालयों की अलग-अलग चर्चा कर रहे हैं।

**परम्परागत विद्यालय (Traditional School)-** परम्परागत विद्यालय में केवल औपचारिक शिक्षा दी जाती है। इन विद्यालयों का जन्म उसी समय से हुआ है जब से परिवार अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो गया था। पहले धर्म तथा राज्य अलग-अलग संस्थायें नहीं थीं। अतः उस युग में धार्मिक नेता ही शिक्षक हुआ करते थे। उन शिक्षकों ने परम्परागत शिक्षा को इतना मूल्यवान बना दिया था कि उसके द्वारा होने वाला लाभ केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही प्राप्त था। कालान्तर में धर्म तथा राज्य अलग-अलग संस्थायें हो गईं। शनैः शनैः राज्यों में जनतन्त्रवादी दृष्टिकोण विकसित होने लगा। इधर तेरहवीं शताब्दी में कागज तथा पन्द्रहवीं शताब्दी में छापने के यन्त्रों का आविष्कार हो गया जिसके परिणामस्वरूप जन-साधारण को भी इन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलने लगे। परन्तु ध्यान देने की बात है कि वर्तमान परिस्थितियों में ये सभी परम्परागत विद्यालय ऐसी दुकानें बन गये हैं जहां पर अज्ञान का क्रय तथा विक्रय होता है। शिक्षक ज्ञान को बेचते हैं तथा बालक खरीदते हैं। दूसरे शब्दों में ज्ञान के विक्रेता अर्थात् शिक्षक इन विद्यालयों में पके-पकाये ज्ञान

को बालकों के मस्तिक में बलपूर्वक ठूँसने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार इन समस्त विद्यालयों की दिनचर्या बड़ी कठोर होती है, जिसके कारण शिक्षा की प्रक्रिया नीरस तथा निर्जीव हो गई है। संक्षेप में परंपरागत विद्यालयों का सम्पूर्ण वातावरण कृत्रिम तथा मनोवैज्ञानिक होता है जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। पेस्टालाजी ने इन स्कूलों के सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है- ‘‘हमारे मनोवैज्ञानिक विद्यालय बालकों को उनके प्राकृतिक जीवन से दूर कर देते हैं, उन्हें अनाकर्षक बातों को याद करने के लिए भेड़ों के समान हांकते हैं तथा घंटों, दिनों, सप्ताहों, महीनों एवं वर्षों तक दर्दनाक जंजीरों से बांध देते हैं।

### नवीन अथवा प्रगतिशील विद्यालय (Modern of Progressive School)

पेस्टालॉजी की भौति फ्राबेल, हरबार्ट, मान्टेसरी, नन तथा पार्कहस्ट एवं टैगौर आदि शिक्षाशास्त्रियों ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा बालक के लिए है न कि बालक शिक्षा के लिए इन सभी शिक्षाशास्त्रियों ने परम्परागत विद्यालय की उस नीरस तथा निर्जीव शिक्षा का विरोध किया जिसके अनुसार बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता की अवहेलना करके उसके मस्तिष्क में ज्ञान को बलपूर्वक ठूँसने का प्रयास किया जाता था। उन्होंने नये-नये शैक्षिक प्रयोग किये जिससे नवीन अथवा प्रगतिशील विद्यालयों का जन्म हुआ। इस प्रकार प्रगतिशील विद्यालय का विकास परम्परागत विद्यालयों की विरोधी प्रवृत्ति के कारण हुआ।

#### 5.3.1 विद्यालय का अर्थ:- (Meaning of School)

हिन्दी का विद्यालय शब्द दो ‘विद्या’ तथा ‘आलय’ से मिलकर बना है। विद्या शब्द का अर्थ है ‘ज्ञान’ और आलय शब्द का अर्थ है ‘स्थान’। इस प्रकार विद्यालय शब्द का अर्थ हुआ ‘विद्या देने का स्थान’। अपने शाब्दिक अर्थ में विद्यालय वह स्थान है जहां शिक्षा की प्रक्रिया चलती है, जहां बालकों के बांछित विकास के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है। अंग्रेजी के ‘स्कूल’ (School) शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द ‘स्कोल’ [Skhole] से हुई है। इस शब्द का अर्थ है-‘अवकाश’ [Leisure]। यद्यपि स्कूल का यह अर्थ विचित्र लगता है, परन्तु यह वास्तविकता है कि प्राचीन यूनान में इन अवकाश के स्थानों को ही स्कूल के नाम से सम्बोधित किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस युग में अवकाश काल को ही ‘आत्म विकास; समझा जाता था जिस का अभ्यास ‘अवकाश नामक निश्चित स्थान पर किया जाता था। अतः अवकाश शब्द का अर्थ है आत्म विकास’ अथवा ‘शिक्षा’। शनैः शनै ये अवकाशालय ऐसे स्थान बन गये जहाँ पर शिक्षक किसी निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय के भीतर समाप्त करने लगे। इस प्रकार आधुनिक युग में स्कूल का एक भौतिक अस्तित्व होता है। जिसकी चाहरदीवारी में बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है। अवकाश [Leisure] शब्द का स्पष्टीकरण करते हुए ए.एफ. लीच ने लिखा है-‘वाद-विवाद या वार्ता के स्थान जहां एथेन्स के युवक अपने अवकाश के समय को खेल-कूद व्यायाम और युद्ध के प्रशिक्षण में बिताते थे, धीरे-धीरे दर्शन तथा उच्च कक्षाओं के स्कूलों में

### **5..3.2 विद्यालय की परिभाषा:- Definition of School**

विद्यालय को स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषायें निम्न प्रकार से हैं-

1. जॉन ड्यूबी- “ विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है, जहां जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है। कि बालक का विकास वाहित दिशा में हो।”
2. टी.पी. ननो “विद्यालय को मुख्य रूप से इस प्रकार का स्थान नहीं समझा जाना चाहिए, जहां किसी निश्चित ज्ञान को सीखा जाता है, वरन् ऐसा स्थान जहां बालकों को क्रियाओं के उन निश्चित रूपों में प्रशिक्षित किया जाता है, जो इस विशाल संसार में सबसे महान् और सबसे अधिक महत्व वाली है।”
3. रॉस -“ विद्यालय वे संस्थाएं हैं, जिनको सभ्य मनुष्य के द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयारी में सहायता मिले”
4. के.जी. सैयदेन-“ एक राष्ट्र के विद्यालय जनता की आवश्यकताओं तथा समस्याओं पर आधारित होने चाहिए। विद्यालय का पाठ्यक्रम उनके जीवन का सार रूप होना चाहिए। ‘‘इसकों सामुदायिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताओं को अपने स्वाभाविक वातावरण में प्रतिबिम्बित करना चाहिए। ”

---

### **5.4 समाज का अर्थ:- (Meaning of the society)**

सामान्य रूप से व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। व्यक्तियों के इन समूह विशेषों का अध्ययन सभी सामाजिक विज्ञानों में किया जाता है। मानवशास्त्र में मनुष्यों के किसी भी समूह को समाज की संज्ञा दी जाती है, यहां तक कि आदिम समुदाय को भी समाज कहा जाता है। भूगोल में क्षेत्र विशेष के समान सभ्यता वाले लोगों के समुदाय को समाज कहते हैं। जैसे-भारतीय समाज, यूरोपीय समाज। धर्मशास्त्र में धर्म विशेष के मानने वालों के समुदाय को समाज कहते हैं, जैसे- हिन्दू समाज, ईसाई समाज और मुसलमान समाज। राजनीतिशास्त्र में राज्य विशेष के लोगों के समूह को समाज कहते हैं, जैसे-भारतीय समाज, ब्रिटिश समाज और अमेरिकी समाज। परन्तु समाजशास्त्र में समाज का अर्थ इन सबसे भिन्न रूप में लिया जाता है।

समाजशास्त्रीय अर्थ में व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं कहते, अपितु समूह के व्यक्तियों में पाए जाने वाले सामाजिक सम्बन्ध क्या है ? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक-दूसरे के प्रति सोचते होते हैं और एक-दूसरे के प्रति कुछ व्यवहार करते हैं तो हम कहते हैं कि उनके बीच समाजिक

---

सम्बन्ध स्थापित हो गए हैं। यह आवश्यक नहीं कि ये सम्बन्ध मधुर और सहयोगात्मक ही हों, ये कुछ और संघर्षात्मक भी हो सकते हैं। समाजशास्त्र में इन दोनों प्रकार के सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार समाज का सर्वप्रथम मूल तत्व दो या दो से अधिक व्यक्तियों की पारस्परिक जागरूकता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के एक-दूसरे के प्रति सचेत होने के लिए यह आवश्यक है कि उनके उद्देश्य अथवा विचारों में या तो समानता हो या भिन्नता। इस प्रकार समानता अथवा भिन्नता समाज का दूसरा मूल तत्व होता है। यह पारस्परिक जागरूकता दो ही रूपों में पारिणित हो सकती है- सहयोग में अथवा संघर्ष में। इसलिए सहयोग अथवा संघर्ष को समाज का तीसरा मूल तत्व माना जाता है। वास्तुस्थिति यह है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक-दूसरे के प्रति सोचते हैं। और वे तब तक इन सम्बन्धों से नहीं बंधते जब तक उनकी एक-दूसरे से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। इसे समाजशास्त्री अन्योन्याश्रितता कहते हैं। यह समाज का चौथ मूल तत्व होता है। समाज के बारे में दो तथ्य और हैं, एक तो यह कि समाज अमूर्त होता है। और दूसरा यह कि यह केवल मुनुष्य जाति में ही नहीं अपितु पशु-पक्षियों और कीड़ों-मकोड़ों में भी पाया जाता है। यह बात दूसरी है कि समाजशास्त्र में केवल मानव समाज का ही अध्ययन किया जाता है।

#### 5.4.1 समाज की परिभाषाएः- (Definitions of the society)

सभी समाजशास्त्री समाज को अमूर्त मानते हैं, परन्तु उसकी परिभाषा उन्होंने भिन्न-भिन्न रूप में दी है कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्न प्रकार से हैं:

**टाकटॉट पार्सन्स के शब्दों में-** “समाज को उन मानवीय सम्बन्धों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो साधन तथा साध्य के सम्बन्ध द्वारा क्रिया करने से उत्पन्न हुए हैं, वे चाहे वास्तविक हो अथवा प्रतीकात्मक”।

**मैकाइवर और पेज ने समाज को थोड़ा अधिक स्पष्ट रूप में परिभाषित किया है।**

“समाज रीतियों तथा कार्य प्रणालियों की अधिकार तथा पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूहों और विभागों की, मानव व्यवहार के नियन्त्रणों और स्वतन्त्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सतत् परिवर्तनशील व्यवस्था को हम समाज कहते हैं।”

इसी बात को उन्होंने आगे संक्षिप्त रूप में इस प्रकार कहा है-

यह (समाज) सामाजिक सम्बन्धों का एक जाल है, जो सदैव बदलता रहता है।

## 5.5 विद्यालय तथा समाज का सम्बन्ध (Relationship between School and Society)

विद्यालय के संगठन के विषय में ड्यूबी के विचार उसके इस कथन से स्पष्ट होते हैं कि विद्यालय समुदाय का लघु रूप है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का इस प्रकार से विकास करना है कि वह आगे चलकर समाज का उत्तरदायी सदस्य बन सके। बालक जो कुछ करता है, उसका सामाजिक महत्व होता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपनी-अपनी भूमिकाओं के अनुरूप कार्य करता है। ऐसा करने से जहां प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वहां सम्पूर्ण समाज की भी प्रगति होती है। वास्तव में, इसी सामाजिक उद्देश्य से ही प्रत्येक देश में राज्य की ओर से शिक्षा-व्यवस्था की जाती है बालक को शिक्षा के द्वारा सामाजिक विरासत प्रदान की जाती है। अतः, हम जैसा समाज बनाना चाहते हैं, वैसा ही प्रतिरूप विद्यालय में बनाया जना चाहिए, जिससे कि विद्यालय के जीवन में बालक उस प्रकार के गुणों का विकास कर सके, जिनकी उसे आगे चलकर आवश्यकता पड़ती है। सामूहिक कामों में भाग लेने से बालक की बुद्धि का विकास होता है और अनुभव बढ़ता है, यह अनुभव ही शिक्षा का आधार है। इसी से बालक में चरित्र के विभिन्न गुणों का विकास होता है और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जनतन्त्रीय समाज की स्थापना के लिए विद्यालय में जनतन्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर विद्यालय का संगठन किया जाना चाहिए। ड्यूबी ने तत्कालीन विद्यालयों की संरचना के विषय में इस बात की आलोचना की कि वे समय की मांग पर कोई ध्यान नहीं देते और केवल पुस्तकीय शिक्षा पर जोर देते हैं। विद्यालय में बालक को सामाजिक बनाने की कोई चेष्टा नहीं की जाती। विद्यालय, समाज और परिवार में कोई स्पष्ट सम्बन्ध नहीं दिखलाई पड़ता है। इस परिस्थिति की आलोचना करते हुये ड्यूबी ने सन् 1896 में शिकागो में एक प्रयोगात्मक विद्यालय की नींव डाली।

प्रयोगात्मक विद्यालय, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, किसी भी क्षेत्र में प्राचीन रुद्धियों और परम्पराओं को न मानते हुये प्रयोग के परिणामों के आधार पर ही शिक्षा-योजना चलाती थी। इस विद्यालय में विभिन्न उद्योग के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। यहां पर बढ़ई का काम, लुहार का काम, खाना बनाना, सीना-पिरोना व अन्य नाना प्रकार की वस्तुओं का निर्माण, शारीरिक कार्य, खेलना-कूदना आदि के आधार पर अनेक विषय पढ़ाये जाते थे।

समाज का लघु रूप मानकर ड्यूबी ने विद्यालय में उन सभी क्रियाओं को लघु रूप में किये जाने की सिफारिश की है, जो बालक को बड़े होकर विद्यालय से बाहर करनी पड़ती है। विद्यालय में इस प्रकार की क्रियाओं को करने से बालक के मस्तिष्क और चरित्र का विकास होता है और वह आगे चलकर इन क्रियाओं को कुशलतापूर्वक कर सकता है। ये वे क्रियाएं हैं, जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए उपयोगी हैं, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि विद्यालय भावी जीवन की तैयारी का उद्देश्य लेकर चलता है। ड्यूबी के अनुसार विद्यालय तो स्वयं जीवन है, वह एक सार्वजनिक संस्था है और

सामाजिक जीवन का रूप उपस्थित करता है, जिसमें वे सब क्रियाएं दिखलाई पड़ती हैं, जो बालक को सम्पत्ति के रूप में मिली है और जिससे उसे अपना अंश जोड़ना है किन्तु अनेक क्रियाएं इतनी जटिल और पेचीदा होती हैं कि वे ज्यों की त्यों विद्यालय में नहीं की जा सकती।, इसलिए उन्हें सरल और सन्तुलित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समाज के एक अंग के रूप में घर का विद्यालय से घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः, इन दोनों में सामंजस्य आवश्यक है। विद्यालय में घर के खेलों और कार्यक्रमों को बनाये रखना चाहिए, जिससे बालक को घर से विद्यालय जाने में कोई असुविधा न हो। विद्यालय का काम परिवार और समाज में सम्बन्ध स्थापित करना है। यदि बालक को परिवार और विद्यालय में कोई अन्तर नहीं मालूम होता तो उसे विद्यालय में अनुकूल करने में कठिनाई नहीं होगी।

समाज में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भिन्न प्रकार के व्यवसाय करने होते हैं। अब यदि विद्यालय समाज का लघु रूप है तो उसे भी भिन्न-भिन्न व्यवस्था करने के लिए दिये जाने चाहिए, इससे उनका नैतिक विकास होगा और अन्वेषण शक्ति तथा रचनात्मक प्रवृत्ति बढ़ेगी, इससे उनमें ऐसी चेतना और स्फूर्ति उत्पन्न होगी, जिससे बालक आसानी से सामाजिक कार्य से अनुकूल कर सकेगा।

विद्यालय समाज का लघु रूप है। इसका एक अर्थ यह भी है कि वह समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं को प्रतिबिम्बित करता है। अतः उसे समाज की आवश्यकताओं के परिवर्तन के साथ-साथ बदलते रहना चाहिए। आधुनिक काल में समाज के जनतन्त्रीय मूल्यों को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व आज समाज की मांगें हैं ऐसी स्थिति में विद्यालय में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिनसे विद्यार्थियों में जनतन्त्रीय गुणों का विकास हो। विद्यालय में विभिन्न संस्थाएं स्वयं विद्यार्थियों के द्वारा चलायी जानी चाहिए और इनके संविधान जनतन्त्रात्मक होने चाहिए। इससे इन संस्थाओं में भाग लेकर विद्यार्थी जनतन्त्रीय जीवन का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। विद्यालयों के द्वारा ही समाज से योग्य शासकों और नेताओं का निर्माण होता है। आज के विद्यार्थी ही कल के समाज में विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुये विद्यालय में अनुशासन, शिक्षा पद्धति, पाठ्यक्रम आदि शिक्षा के विभिन्न अंगों में ऐसे सिद्धान्त अपनाये जाने चाहियें जिनसे बालकों के जनतन्त्रीय नेतृत्व का विकास हो।

एक लघु समुदाय के रूप में विद्यालय के ड्यूकी द्वारा खीचें गये चित्र को अनेक आधुनिक विद्यालयों में सजीव रूप देने का प्रयास किया गया है। उसके विचारों से स्कूल में स्वशासन और स्व - व्यवस्था के सिद्धान्त माने जाने लगे। आधुनिक काल में एकटीविटी स्कूल और योजना-प्रणाली के रूप में विद्यालय-संगठन शिक्षा-पद्धति पर ड्यूकी का प्रभाव दिखाई पड़ता है।

समाज शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना करके उनसे इस बात की अपेक्षा करता है कि वे बालकों में उन गुणों को विकसित करें, जिन्हें प्राप्त कर वे समाज की विभिन्न क्रियाओं में कुशलतापूर्वक भाग ले सकें। समाज अपनी ओर से प्रत्येक व्यक्ति के विकास एवं उसके हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील

रहता है और उससे अपेक्षा करता है। कि वे सामाजिक जीवन को स्थायित्व प्रदान करें। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व यह है कि बालक तथा बालिकाओं को समाज के आदर्शों, विचारधाराओं एवं परम्पराओं आदि से अवगत कराये तथा उनमें समाज को समृद्ध बनाने के लिए उत्कण्ठा उत्पन्न करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि समाज शिक्षा की समुचित व्यवस्था किये बिना जीवित नहीं रह सकता और न ही शैक्षिक संस्थाएँ समाज की मांगों को पूर्ण किये बिना स्थिर रह सकती हैं। जिस समाज में विद्यालय स्थित होता है, उसका विद्यालय पर सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव अवश्य पड़ता है। जो नागरिक विद्यालय का व्यय-भार उठाते हैं वे उसकी शिक्षा की मात्रा तथा प्रकार पर नियन्त्रण रखते हैं। विद्यालय अपना आदर्श प्रस्तुत करके तथा समाज की अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना करके उसके दूषित वातावरण को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करता है। साथ ही वह ऐसे नागरिकों को तैयार करता है जो भावी समाज का निर्माण करते हैं अतः इन दोनों में पारस्परिक निर्भरता पायी जाती है। विद्यालय तथा समाज के सम्बन्धों के विषय में सी.एम. कैम्पबेल (C.M. Campbell) ने निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया है-

1. विद्यालय कार्यक्रम तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक जीवन में घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसलिए विद्यालय का पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए।
2. विद्यालय को अपने कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए समाज के समस्त साधनों का उपयोग करना आवश्यक है। अतः समाज का उत्तरदायित्व है कि वह अपने समस्त साधनों द्वारा विद्यालय के कार्य में सहायता प्रदान करे।
3. विद्यालय सामाजिक विकास की योजनाओं में सक्रिय भाग लेकर तथा समाज को योग्य नेतृत्व प्रदान करके समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है।
4. विद्यालय तथा समाज के सम्बन्धों को देखने से स्पष्ट है कि इनका एक दूसरे से सहयोग के बिना कार्य नहीं चल सकता। विद्यालयों का कर्तव्य है कि वे बालकों को जीवन के विभिन्न पक्षों से अवगत कराये जिससे वे परिवर्तनशील वातावरण के विभिन्न तत्वों को समझ सकें और अपनी संस्कृति की अच्छी बातों को ग्रहण करके सामाजिक उन्नति में सहयोग दे सकें।

### 5.5.1 समाज में विद्यालय का स्थान - उसका महत्व व आवश्यकता

(Place of School in Society - Its Importance and Necessity)

समाज में विद्यालय के स्थान, महत्व और आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए एस. बालकृष्ण जोशी ने लिखा है-“किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधान-सभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं, वरन् विद्यालयों में होता है”

विद्यालय को यह महत्वपूर्ण स्थान कुछ कारणों से दिया जाता है। हम उनका उल्लेख नीचे कर रहे हैं-

1. जीवन की जटिलता: (Complexity of life) आज का जीवन प्राचीन काल के जीवन के समान सरल और सुखमय नहीं है। उस समय मनुष्य के पास अपनी सब आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण करने और अपने बच्चों की शिक्षा की स्वयं देखभाल करने के लिए समय था। आज जनसंख्या की वृद्धि, आवश्यकताओं की अधिकता और वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य के कारण जीवन बहुत कठिन हो गया है। मनुष्य को अपने कार्यों से इतनी फुरसत नहीं मिलती है कि वह अपने बच्चों की शिक्षा की देखभाल कर सके। इसलिए उसने यह कार्य विद्यालय को सौंप दिया है।
2. विशाल सांस्कृतिक विरासत: (Extensive Cultural Heritage) आज की सांस्कृतिक विरासत बहुत विशाल हो गई है। इसमें अनेक प्रकार के ज्ञान, कुशलताओं और कार्य करने की विधियों का समावेश हो गया है। ऐसी विरासत की शिक्षा देने में व्यक्ति अपने को समर्थ पाते हैं। अतः उन्होंने यह कार्य विद्यालय को सौंप दिया।
3. विशिष्ट वातावरण की अवस्था: (Position of Special Environment) विद्यालय छात्रों को एक विशिष्ट वातावरण प्रदान करता है। यह वातावरण शुद्ध सरल और सुव्यवस्थित होता है। इसके छात्रों की प्रगति पर स्वस्थ और शिक्षाप्रद प्रभाव पड़ता है। ऐसा वातावरण शिक्षा का और कोई साधन प्रदान नहीं कर सकता है।
4. घर व विश्व को जोड़ने वाली कड़ी: (Connecting Link Between the home and the world) बालक की शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान घर है। घर में रहकर वह अनुशासन, सेवा, सहानुभूति, निःस्वार्थता आदि गुणों को सीखना है। पर घर की चाहरदीवारी में बंधे रहने के कारण उनके ये गुण अपने परिवार के व्यक्तियों तक ही सीमित रहते हैं। फलतः उसका दृष्टिकोण संकुचित होता है। विद्यालय में विभिन्न वर्गों और सम्प्रदायों के बालकों के सम्पर्क में आकर उसका दृष्टिकोण विस्तृत होता है। साथ ही बाहा समाज से उसका सम्पर्क स्थापित हो जाता है। इस प्रकार “विद्यालय” घर और बाहा जीवन को जोड़ने की कड़ी है। रेमोण्ट (Raymont) का कथन है- “विद्यालय बाहा जीवन के बीच की अर्द्धपारिवारिक कड़ी है, जो बालक की उस समय प्रतीक्षा करता है, जब वह अपने माता-पिता की छत्रछाया को छोड़ता है।”
5. व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास: (Harmonious Development of Personality) घर, समाज, धर्म आदि शिक्षा के अच्छे साधन हैं। पर इनका न तो कोई निश्चित उद्देश्य होता है और न पूर्व नियोजित कार्यक्रम। फलतः कभी-कभी बालक के व्यक्तित्व पर इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत, विद्यालय का एक निश्चित उद्देश्य और पूर्व-नियोजित कार्यक्रम होता है। परिणामस्वरूप, इसका बालक पर व्यवस्थित रूप में प्रभाव पड़ता है। और उसके व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास होता है।
6. बहुमुखी सांस्कृतिक चेतना का विकास: Development of Cultural Pluralism. विद्यालय में विभिन्न परिवारों, समुदायों और संस्कृतियों से छात्र आते हैं। परस्पर सम्पर्क के कारण

उनमें एक -दूसरे के सांस्कृतिक गुण आ जाते हैं अतः विद्यालयों को छात्रों में बहुमुखी संस्कृति का विकास करने का महत्वपूर्ण साधन समझा जाता है।

7. आदर्शों व विचारधाराओं का प्रसार: Propagation of Ideals and Ideologies राज्य के आदर्शों और विचारधाराओं को फैलाने के लिए विद्यालय को अति महत्वपूर्ण साधन माना गया है। इसलिए, सभी प्रकार के राज्यों-लोकतन्त्रीय, साम्यवादी आदि में विद्यालय का स्थान गौरवपूर्ण है।
8. समाज की निरन्तरता व विकास: (Perpetuation and Development of Society) विद्यालय एक प्रमुख सामाजिक संस्था है। शिक्षा की प्रक्रिया सामाजिक होने के कारण विद्यालय सामुदायिक जीवन का वह स्वरूप है, जिसमें समाज की निरन्तरता और विकास के लिए सभी प्रभावपूर्ण साधन केन्द्रित होते हैं। विद्यालय के इसी महत्व के कारण टी.पी. नन (T.P. Nunn) ने लिखा है-“ विद्यालय को समस्त संसार का नहीं, वरन् समस्त मानव-समाज का आदर्श लघु रूप होना चाहिए।”
9. विद्यालय शिक्षा का उत्तम स्थान (T.P. Nunn) विद्यालय, घर की अपेक्षा शिक्षा का उत्तम स्थान है। कारण यह है कि विद्यालय में विभिन्न आदतों, रुचियों और दृष्टिकोणों के बालक आते हैं। फलतः परस्पर सम्पर्क के कारण बालक उन बातों को सीखते हैं, जिन्हें वे घर की चहारदीवारी के अन्दर नहीं सीख सकते हैं यदि बालकों को संसार के ढंगों से परिचित कराना है, यदि उनको सामाजिक शिष्टाचार और सहानुभूति सिखानी है, यदि उनको निष्पक्षता और सहयोग के महत्व को बताना है, तो उनको घर से बाहर विद्यालय में भेजना अनिवार्य है।
10. शिक्षित नागरिकों का निर्माण: (Creation of Educated Citizens) विद्यालय ही एक मात्र वह साधन है, जिसके द्वारा शिक्षित नागरिकों का निर्माण किया जा सकता है। यदि एक देश के समस्त बालकों को एक निश्चित आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है, तो वे स्थायी रूप से साक्षर हो जाते हैं। साक्षर होने के साथ-साथ उनमें धैर्य, सहयोग उत्तरदायित्व आदि गुणों का विकास होता है। इस प्रकार, बड़े होकर बालक राज्य के उपयोगी नागरिक सिद्ध होते हैं।